न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/49/2020	07–09–2020	01–03–2021

01–खुशी राम पटेल पुत्र हीरा लाल पटेल निवासी ग्राम उमैरण तहसील व जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड दिनांक 31–08–2020 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 69/2020

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट

02. विभागीय प्रतिनिधि

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 31–08–2020 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम उमरैण के आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ते में से 20 बाई 30 फुट पर से बेदखल करने एवं 06/– रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया, रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 0.13 है0 साबिक नबंर 504 रकबा 6 बिस्वा से बना है पूर्व से उक्त खसरा नंबर पर अपीलान्ट के पिता के नाम गैर मुमकिन आबादी में दर्ज चला आ रहा था। बदोवस्त विभाग द्वारा संवत 2020 में गलत रूप से उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया। गलत इन्द्राज का राजस्व वाद उनवान खुशीराम बनाम सरकार उप खण्ड अधिकारी अलवर में वर्ष 2013 में पेश किया था वर्तमान में सहायक कलक्टर अलवर न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित आराजी का अपीलान्ट को अतिक्रमी होने बाबत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट के खातेदारी नंबर 696, 697 के है एवं खसरा नंबर 698, 699 पर अपीलान्ट के बुजुर्गो की 100 वर्ष से अधिक पुरानी रिहायश चली आ रही है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2051–70 में हाल खसरा नंबर 699 रकबा 0.13 है जिसके साबिक नंबर 504 रकबा 6 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 505 से मिल कर बना हुआ है पूर्व बदोवस्त 2020का हाल खसरा नंबर 504 रकबा 6 बिस्वा साबिक

जिला कलक्टर

खसरा नंवर 979 रकवा 6 बिस्वा से बना है। सेटिलमेन्ट 2020 में इस भूमि को सिवायचक बिना लगानी गलत रूप से दर्ज किया गया जबकि मिसल बंदोवस्त में खसरा नंबर 504 रकवा 6 बिस्वा गेरमुमकिन आवादी दर्ज है। हाल खसरा नंबर में कोई नव निर्माण नहीं किया है और पुराना निर्माण है और पुरानी ही आबादी है अब कोई नवीन निर्माण नहीं किया गया है जिसके बावजूद भी तहत अदालत में दबाव व प्रभाव में आकर कार्यवाही की और मनमाने तोर पर निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट को अतिक्रमी दर्ज किया गया है जिस के संबंध में ना तो कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गई तथ ना ही तहत अदालत द्वारा उसके संबंध में केई जॉच की उसके बावजूद भी तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व जो निर्णय पारित किया गया उसमें बिना सुनवाई के पारित किया गया है। जबकि विवादित आराजी खसरा नंबर 699 के बाबत करेक्शन एन्टीज एवं डिकलेरेशन का वाद ए सी एम कोर्ट अलवर में विचाराधीन है। तहत अदालत को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है और ना ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। अपीलान्ट को तहत अदालत ने साक्षय, सबूत का मौका नहीं दिया गया, और अपीलान्ट की गैर मौजूदगी एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किए ही मनमाने तरीके से गलत रिपोर्ट पेश की है जिसकी जॉच तहत अदालत ने नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपील मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 699 रकबा 0.13 है0 किस्म चाही तृतीय (सिवायचक) में से लगभग 20X30 फुट भूमी अपीलान्ट द्वारा नाजायज कब्जा कर पक्का तामीर किया हुआ है। आराजी पर अपीलान्ट ने मौके पर नाजायज कब्जा कर पक्का तामीर कर रखी है प्रश्नगत किस्म चाही तृतीय (सिवायचक) पर कोई टाईटल अथवा अधिकार सिद्व नहीं होता है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित विवादित आराजी खसरा नंबर 699 के बाबत करेक्शन एन्टीज एवं डिकलेरेशन का वाद ए सी एम कोर्ट अलवर में विचाराधीन है। तहत अदालत को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है और ना ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। अपीलान्ट को तहत अदालत ने साक्षय, सबूत का मौका नहीं दिया गया, और अपीलान्ट की गैर मौजूदगी एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किए ही मनमाने तरीके से गलत रिपोर्ट पेश की है जिसकी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जॉच तहत अदालत ने नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया, तहत अदालत के अनुसार अपीलान्ट को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के जारी किया गया है। तहत अदालत की order sheet दिनांक 29.07.20 को जवाब पेश किया तथा जवाब को ओर समय चाहा गया था–दिनांक 312.08.20 को अपीलान्ट तहत अदालत में उपस्थित हुआ था और अपीलान्ट के द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई/साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया। अपीलान्ट को सुन कर अपीलीय आदेश पारित करना विधिक अनुरूप उचित समझतें है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 31–08–2020 को यथावत रखा जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर